उत्तर प्रदेश शासन

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या-73/1396/78-1-2013-132/2012

लखनऊ: दिनांक: 24 दिसम्बर, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिकस अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-635/78-1-2013-132/2012 दिनांक 13 अगस्त, 2013 जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी नीति-5.2.2 जिसमें उद्यमियों (entrepreneurs) तथा सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को सांविधिक (statutory) मामलों के निस्तारण जैसे प्रदूषण नियंत्रण, फैक्ट्री एक्ट, दुकान तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान कानून, मजदूरी भुगतान कानून, न्यूनतम मजदूरी कानून, संविदा श्रम कानून, विद्युत आवंटन इत्यादि में सक्रिय एवं प्रभावी सहायता/क्रियान्वयन हेतु प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग की अध्यक्षता में "नीति कार्यान्वयन इकाई" (Policy Implementation Unit) का गठन किया गया था।

2- उक्त कार्यालय-ज्ञाप में आशिंक संशोधन करते हुए गठित **"नीति कार्यान्वयन इकाई" (Policy Implementation Unit) का नाम बदलकर उसके स्थान पर "ई-उत्तर प्रदेश" एवं सदस्य सचिव के रूप में नामित वरिष्ठ प्रबन्धक, यूपीएलसी लखनऊ के स्थान पर प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी उ0प्र0 लखनऊ को सदस्य सचिव नामित करते हुए "ई-उत्तर प्रदेश"** का गठन निम्नवत किया जाता है:-

1- प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इले. विभाग, उ.प्र.शासन ।	अध्यक्ष
2- प्रमुख सचिव/सचिव वाणिज्य कर विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
3- प्रमुख सचिव/सचिव कर एवं निबंधन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
4- प्रमुख सचिव/सचिव औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
5- प्रमुख सचिव/सचिव वित्त विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि ।	सदस्य
6- प्रमुख सचिव/सचिव श्रम विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सदस्य
7- प्रमुख सचिव/सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा नामित प्रतिनिधि ।	सदस्य

http://shasanadesh.up.nic.in

8- विशेष सचिव, आई.टी. एवं इले. विभाग, उ.प्र.शासन । सदस्य

9- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी लखनऊ। सदस्य

10- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी द्वारानामित प्रतिनिधि सदस्य

11- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी लखनऊ। सदस्य सचिव

2- उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 13 अगस्त, 2013 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। अन्य शर्ते पूर्वत रहेंगी।

(जी0 एस0 नवीन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-73/1396 (1)/78-1-2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समिति के समस्त सदस्यगण ।

(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एल0सी0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह प्रकरण में समिति की बैठक आहूत करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आई0टी0 एवं इले0 विभाग।

(5) अनु सचिव आई0टी0 एवं इले0 विभाग।

(6) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(जी0एस0 नवीन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in